Ann-III

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर–वन उद्देश्यों हेतु विपथनके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र ।

प्रपत्र क

(पैरा 2.2(1) देखें)

(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1 परियोजना विवरण :

(1) ढिकोनिया से तलावडा :– ढिकोनिया से तलावडा को जोड़ने हेतु इससे कम दूरी का अन्य रास्ता नहीं है। यह सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है।

(2) वाछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क. स्थान सर्वे संख्या / कम्पार्टमेंट संख्या –

ख. क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) – **7.50 हेक्टेयर**

ग. वन मण्डल – बारां

घ. 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शे पर दिखाए।

2 प्रस्तावित भवन / गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग–अलग विवरण।

3 प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार सरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।

4 ग्राम सभा की संस्तुति–स्वीकृत / अस्वीकृत

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

तिथि ....

स्थान ....

(बडे अक्षरों में नाम) ....अधिशाषी अभियन्ता........

पता ....सा0नि0वि0खण्ड शाहाबाद........

प्रस्ताव की क्रम संख्या ....

(रेंज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

हस्ताक्षर / पदेन सचिव ग्राम पंचायत, घट्टी — ग्राम सेवक, पं0 स0 किशनगंज जिला बारॉ

हस्ताक्षर पटवारी हल्का

हस्ताक्षर वन पाल

कमल पेपर कनवर्टर्स, ब्यावर

(नियम 4 व 164)

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप-समिति — धरड़ी पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	2	3	4	5	6
	रा०मा० भवन धरड़ी	शंकर मण्डल		प्रस्ताव क्रमांक-11 :- BPL दावो की जॉन्च रिपोर्ट पर चर्चा	
				ग्राम सभा में ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ग्राम ने गहनता ने अध्ययन किया कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक दावा फार्म का बिन्दुवार अध्ययन किया जिनमें 2002 के सर्वे रिपोर्ट मे दर्शाये गये कई सारी सूचना वस्तुस्थिति को नजरअन्दाज कर अंक दिये गये हैं। जिससे कई गरीब परिवार BPL की श्रेणी में आने से वंचित रह गये। ग्राम स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट सर्व सम्मति से पारित किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।	
				मुखिया का नाम/पिता/पति — गाँव — BPL सर्वे फार्म नं. — प्राप्तांक	
				1. कर्मा / हजारी — बोरेन — 2138731 — 14	
				2. धर्मा / मांगीलाल — [illegible] — — 12	
				3. मनसा / किशनलाल — बोरदा — 2138828 — 21	
				4. विजयसिंह / गणपतराम — बोरदा — 2138829 — 16	

Signatures: Kishan, ... कोदार, Jagat, दे.नारा...

3. मनसा / केहुवाव   वार्ड 1   2138828   1

4. विजयसिंह / गजमाराज   बोरदा   2138829   16

5. बक्तराज / गजमाराज   बोरदा   2138830   10

प्रस्ताव क्र० - 12 → वन क्षेत्र में आने वाली सड़क ढिकोडियाँ से तलावड़ा जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है वर्तमान मे बंद है इसके निर्माण हेतु ग्राम सभा मे वन भूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यक बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र मे सड़क बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के ~~सदस्य~~ मे 50% से अधिक सदस्यो द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

Ann-V

आज दिनांक 5.8.14 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सडक ढिकोनिया से तलावडा जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द हैं उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सडक के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सडक बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 12 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई ।

सरपंच ग्राम पंचायत
घट्टी
पंचायत समिति किशनगंज

सचिव ग्राम पचायत
घट्टी
पंचायत समिति किशनगंज

Ann-D

आज दिनांक ....31/10/14...... को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार कमैटी से वन क्षेत्र में पडने वाली सडक ढिकोनिया से तलावडा के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. 12/05.08.2014 जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है । अतः सर्वसम्मति से उक्त सडक को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है ।

31/X/14
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड किशनगंज

रेंजर वन क्षेत्र
~~किशनगंज~~/~~केलवाडा~~/
~~भवंरगढ~~/नाहरगढ

31.10.14
विकास अधिकारी
पं.स. किशनगंज

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No. 9/2014

Dated 25.11.2014

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights.) Act. 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.50** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Hari Prasad Meena Executive engineer Public Works Department Div.-Shahabad** (name of user agency) for **Construction of Road Work from Dikoniya to Talawara** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Dikonia,Gajron,Pipalda and Talawara** village(s) in **KIshanganj** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.50** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (X).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl. : As above.

(Lalit Kumar Gupta)
Collector & D.M. Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

C:\Users\admin\Desktop\Annexuter-I___II.docx